राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर, ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश छात्र कल्याण के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करनें के उपरान्त अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा–4	निर्णीत	(₹6084 की प्रतिपूर्ति दिनाँक 8.4.2009 को कर ली गई थी। ₹3352 की प्रतिपूर्ति दिनांक 20.9.2012 को कर ली गई है)
2	पैरा–4 (1)	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि उपरान्त)
3	पैरा–5	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि उपरान्त)
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	अनिर्णीत	
6	पैरा–8	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख के सत्यापनोपरान्त)
7	पैरा–9	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में दी गई है)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राज़कीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 4.1.2014 से 13.1.2014 तक सुजानपुर में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2011–12	7/2011	5/2011
2012–13	8/2012	8/2012

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था प्रभारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी भी सूचना/अभिलेख के त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदाई नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में संस्थान में निम्नलिखित प्राधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम	अवधि
1	मोहिन्द्र सिंह (मुख्याध्यापक)	1.4.11 से 30.9.11
2	गोवर्धन धारी शर्मा (मुख्याध्यापक)	1.10.11 से 30.4.13
3	पयार चन्द अत्री	1.5.13 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्था के छात्र कल्याण निधि लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹3200/– किया गया लेकिन संस्था द्वारा गलती से अंकेक्षण शुल्क की ₹3300/– की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 299848 दिनाँक 15.1.2014 के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। अंकेक्षण शुल्क के रूप में अधिक प्रेषित की गई राशि ₹100 का अगले अंकेक्षण शुल्क की राशि में समायोजन किया जाएगा।

4 वित्तीय स्थितिः–

छात्र कल्याण निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट (क) व (ख) में दी गई है जिस पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैः–

(क) छात्र निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्यों पर न करके अन्य प्रयोजनों पर करनाः–

अभिलेख की ज़ाँच पर पाया गया कि संस्था प्रशासन द्वारा छात्र निधियों से अधिकतम व्यय पीरियड आधार (period basis) पर रखे गये अनुदेशक के पारिश्रमिक के रूप में किया गया जिसके परिणामस्वरूप जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनकी प्राप्ति छात्रों से की गई थी उन पर खर्च करने हेतु बहुत कम राशि शेष बची थी। अतः इस मामले को सरकार/सम्बन्धित विभाग से विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से उठाया जाए ताकि अल्पकालिक अनुदेशकों के पारिश्रमिक का बोझ छात्र कल्याण निधियों पर न पड़े।

(ख) छात्र निधियों में संचित राशियों में से सावधि जमा योजना में निवेश न करनाः–

संस्थान द्वारा छात्र निधियों में संचित राशियों को बैंक बचत खातों में ही रखकर उन पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज अर्जित किया जा रहा है। यदि इन संचित राशियों में से समुचित भाग किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया होता तो अपेक्षाकृत सावधि जमा योजना पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था। अतः छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने एवं ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 छात्र निधि लेखाओं के रख–रखाव के सन्दर्भ में पारिश्रमिक देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध न करवानाः–

माह 2/2012 में छात्र कल्याण निधि से ₹3400/– का भुगतान श्री हरिदास, अनुदेशक को अवधि 1.9.2010 से 29.2.2012 तक ₹200/– प्रतिमाह की दर से निधि लेखाओं के रख रखाव के सन्दर्भ में किया गया लेकिन संस्था द्वारा उपरोक्त अनुदेशक को निधि लेखाओं के रख–रखाव हेतु कार्य प्रभार सौंपने के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय आदेशों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में कृत ₹3400/– के भुगतान का

नियमन सम्भव न हो सका। अतः उपरोक्त सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रति सत्यापना हेतु अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाई जाए अन्यथा कृत अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

6 ₹390/– की राशि पी0एन0टी0सी0 निधि (PNTC) के रूप में छात्रों से रसीद ज़ारी किए बगैर प्राप्त करने बारेः–

चयनित माह 07/2011 के आय की विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 22.7.2011 को ₹390/– की राशि, पी0एन0 टी0सी0 निधि के रूप में छात्रों से रसीद ज़ारी किए बगैर प्राप्त की गई। बिना रसीद के राशि प्राप्त करने की अवस्था में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों के विपरीत रसीद ज़ारी किए बगैर ₹390 को पी0एन0टी0सी0 निधि के रूप में प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की निधियों के रूप में प्राप्त राशियों को रसीद ज़ारी करने उपरान्त ही प्राप्त किया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 रोकड़ बहियों का उचित रख–रखाव न करने बारेः–

ज़ाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 04/2011 से 03/2013 तक की निधियों की विभिन्न रोकड़वहियों जैसे एस0डब्लयू0एफ0, पुस्तकालय निधि, पहचान पत्र, परीक्षा शुल्क निधि इत्यादि की प्रतिदिन अन्तशेष राशि को दर्शाया नहीं गया था अपितु केवल प्राप्ति व भुगतान पक्ष में आय–व्यय की प्रविष्टि करके ही रोकड़ वही का रख–रखाव किया जा रहा है जोकि अनियमित है। अतः नियमों के विपरीत निधियों की रोकड वहियों का रख–रखाव करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमित रूप से रोकड़ बहियों का उपरोक्तानुसार उचित रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 निधियों में से कर्मचारी को किए गए ₹235271/– के बकाया के भुगतान में से ₹35273/– की राशि वापिस निधियों में न लौटानाः–

संस्थान द्वारा श्री अवतार सिंह, ड्रैसर को माह अक्तूबर 2011 में विभिन्न निधियों से ऋण लेकर ₹235271/– का भुगतान किया गया जिसमें से ₹35273/– की राशि वापिस सम्बन्धित निधियों में जमा नहीं करवाई गई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

निधि का नाम	**चैक सं0**	**ऋण की राशि**	**ऋण के रूप में वापिस की राशि**	**दिनाँक**	**आंशिक रूप से जितनी राशि वापिस नहीं की गई**
भवन निधि	148602/ अक्तूबर, 2011	₹110000	₹110000	26.3.10	–
पानी व बिजली	148582/ अक्तूबर, 2011	₹110000	₹89998	26.3.10	₹20002
टी0एण्ड पी0 निधि	148484/ अक्तूबर, 2011	₹15271	–	–	₹15271
				कुल योग	**₹35273**

अतः उपरोक्त ₹35273/– की प्रतिपूर्ति अविलम्ब उचित स्त्रोत से करके वापिस सम्बन्धित निधि खातों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹41500/– की राशि संस्था प्रतिभूति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹41500/– का भुगतान संस्था प्रतिभूति वापिसी के रूप में विभिन्न छात्रों को किया गया, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार हैः–

दिनांक	**चैक सं0**	**राशि (₹)**
30.7.11	341325	10500
30.7.11	341327	10500
30.7.11	341326	9000

30.7.11	341328	1000
6.8.12	341330	10500

कुल योग= ₹41500

संस्था प्रतिभूति वापिसी के रूप में भुगतान की गई उपर्युक्त राशियों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) विभिन्न छात्रों को संस्था प्रतिभूति वापिसी के रूप में भुगतान बिना अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करके किया गया प्रतीत होता है क्योंकि अपेक्षित अदेय प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं अन्यथा सम्बन्धित प्रशिक्षुओं से यदि कोई राशि संस्थान द्वारा प्राप्त योग्य बनती हो, की वसूली उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी कर्मचारी/कर्मचारियों से सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ख) यह भुगतान संस्था के कर्मचारी के नाम चैक ज़ारी करके सम्बन्धित प्रशिक्षुओं को इसका भुगतान दर्शाया गया है जोकि एक अनुचित प्रक्रिया है। अतः भविष्य में प्रशिक्षुओं को प्रतिभूति राशि का भुगतान प्रत्येक प्रशिक्षु को एकल चैक के रूप में पृथकता से किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

10 वाऊचर फाईलों की उचित वाऊचिंग न करनाः–

छात्र निधियो ंसे भुगतान की फाईलों की ज़ाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा भुगतान वाऊचरों की वाऊचिंग नहीं की गई है और न ही वाऊचरों का हवाला रोकड़ बहियों में दिया गया है कि कौन सा व्यय किस वाऊचर संख्या के अन्तर्गत किया गया है जोकि लेखाँकन की प्रक्रियानुसार उचित नहीं है। अतः भविष्य में वाऊचर फाईलों की भली भाँन्ति वाऊचिंग करके उन्हें रोकड़ बहियों में सन्दर्भित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भुगतान पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित हो सके।

11 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

छात्र निधियो ंसे सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्र निधियों से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक मदों के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है जो कि न केवल हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 की

उल्लंघना है अपितु अंकेक्षण अभियुक्तियों की भी उल्लंघना है क्योंकि अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 4/2011 के पैरा संख्या 9 द्वारा भी उज़ागर किया गया था।

अतः उपरोक्त नियम व अंकेक्षण अभियुक्ति की उल्लंघना के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में अपेक्षित सत्यापन उपरोक्त नियम की अनुपालना में वर्ष में कम से कम एक बार करना सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** इसे पृथक से ज़ारी नहीं किया है।

13 **निष्कर्षः–** छात्र कल्याण निधियों के रख–रखाव मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)xi(vi) 110/12 खण्ड–I दिनांक, 9.05.2014 शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, शिमला–171002

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा सुन्दरनगर जिला मण्डी, (हि0प्र0)।

पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर, ज़िला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, शिमला–171009 को प्रतिवेंदन के जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.